



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

फा० सं०- 56/03/एलईटी/ईसीआई/एफयूएनसी/पीपी/पीपीएस-1/2018
सेवा में,

स्पीड पोस्ट द्वारा
निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली -110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 0

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2018

अध्यक्ष,

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक),

111, आस्था कॉम्प्लेक्स,

दहेज बाईपास रोड, नंदेवाल,

तालुका एवं जिला- भरुच,

गुजरात- 392001.

विषय: “पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)”— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने “पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)” का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक 01.01.2018 के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक 17.10.2018 को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन “पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)” को दिनांक 29.10.2018 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. आपके दल की पंजीकरण संख्या 56/03/2018-18/रा०द०अनु०-१ है।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्त्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:-

- (i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत् जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
- (ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
- (iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित रजिस्टर का उद्दरण (extract)जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण दल को किसी अन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में दल द्वारा विधिवत रूप से छड़े किए गये अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आवंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के ऊपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 5% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-भान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा छड़े किए गये अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10 ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अन्तर्गत (राजनैतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में ₹ 20,000/- से अधिक प्राप्त संदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

6. यह भी सूचित किया जाता है कि किसी राजनैतिक दल का पंजीकरण करते समय आयोग राजनैतिक दलों के ध्वजों को अनुमोदित नहीं करता है और यदि दल का अपना ध्वज है तो यह उस दल की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 या भारत के फ्लैग कोड अथवा इस विषय से संबंधित अन्य किसी सुसंगत विधि के उपबंधों का उल्लंघन न करे और यह भी कि उसका ध्वज किसी अन्य राजनैतिक दल के ध्वज का किसी भी प्रकार से अनुकरण न करे।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार शर्मा)

सचिव

फा० सं०- 56/03/एलईटी/इसीआई/एफयूएनसी/पीपी/पीपीएस-1/2018

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात, गांधीनगर।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, सरदार पटेल भवन, सेक्टर नं० 10, ब्लाक-9, छठा तल, गांधीनगर, गुजरात- 382010.
3. राजनैतिक दल अनुभाग-111
4. गाई फाईल

(प्रमोद कुमार शर्मा)

सचिव